रजिस्ट्री सं० डी० (डी० एन०) 72 REGISTERED No. D. (D.N.) 72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 188] नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 16, 1986/वैसाख 26, 1908
No. 188] NEW DELHI, FRIDAY, MAY 16, 1986/VAISAKHA 26, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 मई, 1986

का. आ. 265(अ).—केन्द्रीय सरकार, विधि-विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37)' की धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपनी यह राय होने पर कि ऐसा करना आवश्यक है, ''विधि-विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिकरण'' गठित करती है जिसमें आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, न्यायमूर्ति श्री सी. श्रीरामुलू होंगे ।

[सं. 1/17034/21/86-आई.एस. (डी-7)]
सी. टी. बैंजामिन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th May, 1986

S.O. 265 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967), the Central Government, being of opinion that it is necessary so to do, hereby constitutes the 'Unlawful Activities (Prevention) Tribunal' consisting of Shri Justice C. Sriramulu, Judge of the Andhra Pradesh High Court.

[No. 1/17034/21/86.IS (D. VII)]

C. T. BENJAMIN, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1986